सूचना

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए समाधान तलाशेगा विधिक सेवा प्राधिकार

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार समाधान स्वरूप इसके लिए सकारात्मक **समाधान समारोह** की शुरुआत हो गई है। न्यायालय ने सहायता शुरू कर दी गई है।

बीते 21 अप्रैल से ही अभियान की शुरूआत औपचारिक तौर पर कर दी गई है। अब लंबित मामले की पूरी जानकारी की है। निर्धारित समय में मामला का भी मध्यस्थता के जरिए निपटारा होगा। मिली जानकारी के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन किया जाना है। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका में रहेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्याय को सरल और सुलभ तरीके से आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से समाधान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुंगेर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक एवं सुलह बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

समाधान समारोह 21 अप्रैल से ही शुरू

प्राधिकार के अधिकारिक जानकारी के मुताबिक समाधान समारोह की शुरूआत बीते 21 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। विधिक मामलों की पूर्ण के अनुसार लंबित मामलों का न्यायालय के बाहर समाधान तलाशने की कोशिश होगी। विशेष लोक अदालत का आयोजन 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 (शनिवार, रविवार एवं सोमवार) को होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित लंबित मामलों का आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से त्वरित निस्तारण करना उद्देश्य है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिली जानकारी के मुताबिक चयनित वाद एवं मामलों के निराकरण को सुलभ बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार व मध्यस्थता केन्द्र में पूर्व–सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में अधिवक्ता व्यवहार और विधिक अधिकारी पक्षकार के बीच सुलह के संभावनाओं पर आपसी सहायता प्रदान करेंगे। पक्षकार इन बैठकों में अपनी सुविधानुसार सशरीर अथवा आभासी रूप से सम्मिलित हो सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन

सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित अपने मामलों को इस समाधान समारोह में शामिल करने के लिए पक्षकारों को एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है। 31 मई 2026 तक की तिथि निर्धारित की गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए पक्षकार [illegible] 011–23116464 के जरिए संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों से अपील की है कि वे [illegible] समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए। अत्यधिक जानकारी के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुंगेर के कार्यालय से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।

कार्यालय
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(NALSA)

सत्यमेव जयते

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

BSLSA
LEGAL AID FOR THE NEEDY
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
(BSLSA)



भारत का उच्चतम न्यायालय

समाधान समारोह, 2026

(भारत के उच्चतम न्यायालय में विशेष लोक अदालत)



'सहभागी न्याय' और 'न्याय की घर-घर तक पहुँच' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 'पूरे देश में मध्यस्थता द्वारा न्याय-निर्णयन और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पहल' (Supreme Court Action for Mediated Adjudication and Disputes Harmonization Across Nation) — 'समाधान समारोह' का आयोजन कर रहा है। यह समारोह 21 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा और 21, 22 तथा 23 अगस्त, 2026 को एक विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ संपन्न होगा।

इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य, सहमति-आधारित समाधान तंत्रों के माध्यम से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा सुगम बनाना है।

विशेष लोक अदालत में निम्नलिखित श्रेणी के मामलों/पक्षकारों की सहमति के लिए जाएंगे

- बैंकिंग एवं बीमा मामले
- सिविल मामले
- मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति मामले
- उपभोक्ता विवाद एवं RERA मामले
- पारिवारिक विवाद
- वाणिज्यिक एवं मध्यस्थता मामले
- भूमि अधिग्रहण मामले
- सरकारी सेवकों से संबंधित सेवा मामले
- किराया नियंत्रण एवं सार्वजनिक परिसर (बेदखली) अधिनियम के मामले
- स्थानांतरण याचिकाएँ
- कोई अन्य मामला, जिसमें समझौता वैध हो

भाग लेने का आमंत्रण

सभी अधिवक्ताओं, वादियों एवं हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस पहल के अंतर्गत विवादों के प्रभावी समाधान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपना योगदान दें। पक्षकार अपने विवादों के निपटारे हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा ऑनलाइन मंच पर आभासी रूप से उपस्थित हो सकते हैं।

लोक अदालत के लाभ

- बिना किसी अनावश्यक खर्च के न्याय सुलभ होता है।
- विवादों का सरल एवं त्वरित निपटारा किसी पक्ष की जीत हार नहीं होती।
- लोक अदालत के आदेश अंतिम होते हैं और इनका कोई अपील नहीं किया जा सकता।
- सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम होता है।

आवेदन कैसे करें

पक्ष और उनके वकील, निर्धारित Google Form भरकर अपना अनुरोध जमा कर सकते हैं:

Google Form Link: https://forms.gle/jqxefqF4BCWzukoP6

यह Google Form https://www.sci.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।

Google Form भरने की अंतिम तिथि: 31 मई, 2026

पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण लिखित समझौते तक पहुंचाने के लिए न्यायिक अधिकारियों, प्रशिक्षित मध्यस्थों, स्वयंसेवी, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाएँ ली जा सकती है। (सेवाएँ निःशुल्क होंगी)

किसी भी प्रकार की सहायता/जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:

समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के लिए वन स्टॉप सेंटर (वॉर रूम) प्रभारी का संपर्क नंबर
011-23112428, 011-23112528

वन स्टॉप सेंटर (कमरा नंबर 806 और 808, B ब्लॉक, अतिरिक्त भवन परिसर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय)
लैंडलाइन नंबर 011-23116464, 011-23116465

निदेशक, C.R.P. का संपर्क नंबर: 011-23115652

ईमेल: speciallokadalat2026@sci.nic.in

किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया निम्नलिखित में से किसी एक से संपर्क करें:

Supreme Court of India One Stop Centre	NALSA	SCLSC	BSLSA	Patna High Court Legal Services Committee
संपर्क नंबर: 011-23112428, 011-23112528, 011-23116464, 011-23116465, 011-23115652	संपर्क नंबर: 011-23382778, 011-23382121 Toll Free No.: 15100	संपर्क नंबर: 011-23381257, 011-23116353, 011-23116354	संपर्क नंबर: 8709901744 (Nyaya Samadhan)	संपर्क नंबर: 0612-2504477, 0612-2504475
ईमेल: speciallokadalat2026@sci.nic.in	ईमेल: nalsa-dla@nic.in	ईमेल: sclsc@nic.in	ईमेल: bslsa.87@yahoo.co.in	ईमेल: phclsc@gmail.com

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी।

Advocates & parties may also contact their nearest District Legal Services Authorities

Member Secretary
Bihar State Legal Services Authority